उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या– 181 /XXVII(6)/2012
देहरादून, दिनांक : 10 मई, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

वित्त विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर चालू योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियों के स्तर निर्धारण सम्बन्धी पूर्व में निर्गत समस्त कार्यालय ज्ञापों को निरस्त करते हुए वित्त विभाग के सचिव एवं अपर सचिवों के मध्य निम्न प्रकार कार्य आवंटन किया जाता है :–

1. वित्त विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की रू0 10.00 करोड़ लागत तक की चालू योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियों के प्रकरण अपर सचिव, वित्त के स्तर पर निस्तारित किए जाएंगे।
2. वित्त विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत की चालू योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियों के प्रकरण सचिव, वित्त के स्तर पर निस्तारित किए जाएंगे।
3. पदों की निरन्तरता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रकरण अपर सचिव, वित्त स्तर पर निस्तारित किए जाएंगे।
4. नई योजनाओं के समस्त प्रकरण सचिव, वित्त स्तर पर निस्तारित किए जाएंगे।
5. विभागों के ढांचे तथा पद सृजन के सभी प्रस्ताव सचिव, वित्त स्तर पर निस्तारित किए जाएंगे।
6. सभी प्रशासनिक विभाग अपने विभाग से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति की पत्रावलियों को सचिव, वित्त को प्रेषित न कर सीधे अपने सम्बन्धित वित्त नियंत्रक अनुभाग को प्रेषित करेंगे।

अतः कृपया सभी प्रशासनिक विभाग उपरोक्त कार्य आवंटन के आधार पर ही पत्रावलियों पर पृष्ठांकन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 181 (1)/XXVII(6)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।